संख्या- 53 /2024/I/813893/2024 /001-71-4002-099-7-2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुल सचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 04.12.2024

विषयः- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा के अंतर्गत मेडिकल कालेज में कम्यूनिटी मेडिसीन विभाग का विस्तार किये जाने हेतु PREFEBRICATED का निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 5598/यू0पी0यू0एम0एस0/अनु0(52)सिविल/2023-24, दिनांक-14.03.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के सापेक्ष महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा आंकलित लागत रू0 319.86 लाख (तीन करोड उन्नीस लाख छियासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुदान संख्या-31 से रू0 252.69 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 67.17 लाख अर्थात कुल रू0 319.86 लाख (रूपये तीन करोड उन्नीस लाख छियासी हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. आगणन में प्राविधानित मदों की मात्राओं को यथावत मानते हुए आगणन का परीक्षण किया गया है। मात्राओं का निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय / कार्यदायी संस्था का होगा ।
2. आगणन में प्राविधानित वे मदें जो डी0एस0आर0 में निहित है, का परीक्षण कर लिया गया है। ऐसी मदें जो बाजार दरों पर आधारित है, उनके सम्बन्ध में यह मंतव्य है कि विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कार्य सम्पादित कराया जाये।
3. आगणन में 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 का प्राविधान किया गया है जो नियमानुसार देय होगा।
4. आवश्यकतानुसार आगणन में 10 प्रतिशत सेन्टेज का प्राविधान किया गया है जो नियमानुसार देय होगा।
5. कार्यो में प्रयुक्त डिजाइन, सामग्री आदि हेतु विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. विश्वविद्यालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
7. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाय ।
8. परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रयोजना की स्वीकृति से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
11. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदारी संस्था/विश्वविद्यालय के कुल सचिव /वित्त अधिकारी की होगी।
12. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/ विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
13. अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि को डाक घर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 2,52,69,000 (रुपये दो करोड़ बावन लाख उनहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050500 रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 67,17,000 (रुपये सड़सठ लाख सत्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 4210037892900 रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइस एण्ड रिसर्च, सैफई, इटावा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 प्रयागराज।
5. कोषाधिकारी, इटावा।
6. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8. वित्त अधिकारी उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।